मैनपुरी प्रखण्ड, नि0गं0न0 मैनपुरी

नहर निरीक्षण भवन घिरोर के बाहर की भूमि पर दिनांक– 22.06.2018 को गंगा दशहरा पर्व लगने वाले एक दिवसीय दशहरा मेला की वर्ष–2018–19 में नीलामी हेतु आवश्यक नियम व शर्ते शरायतनामा।

1. नहर निरीक्षण भवन, घिरोर पर इस वर्ष– 22.06.2018 को गंगा दशहरा के पर्व पर एक दिवसीय मेले के आयोजन हेतु सार्वजनिक नीलामी गठित समिति द्वारा की जायेगी।
2. किसी भी कर्मचारी एवं उनके रिस्तेदारों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी।
3. गंगा दशहरा मेला की अवधि एक दिन की होगी, उसके बाद मेला लगाने की अनुमति नही दी जायेगी।
4. बोली दाता को अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मूल आधार साथ में लाना होगा एवं घनराशि रू0 15,000.00 मात्र (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) जमा करना होगा वोली समाप्त होने पर नीलामी लेने बाले अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी प्रकिया में जिस बोलीदाता द्वारा अधिकतम बोली लगाई जायेगी, उसी बोलीदाता के नाम नीलामी समाप्त कर प्रकरण स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जायेगा।
6. नीलामी के पश्चात अधिकतम धनराशि की बोली गई अन्तिम बोली की धनराशि तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा।
7. नीलामी की समाप्ति पर ठेकेदार द्वारा बोली गई अन्तिम बोली की धनराशि जमा न करने की दशा में उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी इसके पश्चात उससे कम बोली बोलने बाले ठेकेदार को उक्त प्रक्रिया के अनुसार धनराशि जमा करने हेतु कहा जायेगा।
8. यादि नीलामी के समय बोली कम आती है तो अगले नीलाम की तिथि में उस बोली की पहली बोली मानकर ही नीलामी की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
9. नीलामी के समय धनराशि रू0 100.00 से कम अंश की बोली मान्य नही होगी।
10. अन्तिम बोली छूटने पर यदि कोई खरीददार अन्तिम बोली से अधिक कीमत में उस मौके को खरीदना चाहता है तो एक सप्ताह के अन्दर उस अन्तिम बोली का 25 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि जमा करने पर पुनः नीलामी की कार्यवाही करा सकता है।
11. अनुबन्ध गठन हेतु वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. अनुबन्ध ठेकेदार स्वीकृत शुदा ठेके को किसी अन्य ठेकेदार को नही देगा।
13. अधिकतम बोलीदाता द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नही किया जायेगा जिससे राजकीय सम्पत्ति को हानि हो राजकीय क्षति की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी नीलामी स्वीकृत के पश्चात अधिकतम बोलीदाता द्वारा ये भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि अराजक तत्व एवं शरारती तत्व नहर निरीक्षण भवन के प्रागंण में प्रवेश न कर पायें सुरक्षा व्यबस्था की पूर्ण जिम्मेदारी अधिकतम बोलीदाता की होगीं। मेले के दौरान जन–सामान्य को नहर में नहाने की अनुमति नही होगी, कोई भी दुर्घटना होने पर पूर्ण जिम्मेदारी अधिकतम बोलीदाता की होगी।
14. जिस बोलीदाता के नाम नीलामी स्वीकृत होगी उसको धनराशि रू0 15,000.00 मात्र (पन्द्रह हजार रू0 मात्र) प्रांगण की साफ–सफाई हेतु जमा करना अनिवार्य होगा यदि प्रांगण की सफाई एवं ठेकेदार द्वारा करा दी जाती है तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं जिलेदार द्वितीय घिरोर की संस्तुति पर धनराशि ठेकेदार को बापस कर दी जायेगी।
15. नीलामी प्रक्रिया अधिशासी अभियन्ता, मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंगा नहर मैनपुरी की स्वीकृत उपरान्त ही पूर्ण मानी जायेगी। नीलामी की स्वीकृत अथवा उसके निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार अधिशासी अभियन्ता, मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंगा नहर मैनपुरी को होगा।
16. मेला दशहरा की नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एवं शर्ते **idup.gov.in/hi/auction** विभागीय बेवसाइड पर जाकर देख सकते है।
17. न्यूनतम बोली **Base Price** रू0 50,000.00 से शुरू होगी।

अधिशासी अभियन्ता
मैनपुरी प्रखण्ड, नि0गं0न0
मैनपुरी

मैनपुरी प्रखण्ड, निचली गंगा नहर मैनपुरी

नहर निरीक्षण भवन घिरोर कैम्पस के बाहर नहरी भूमि पर दिनांक–22.06.2018 को लगने वाला एक दिवसीय दशहरा मेला

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 नहर निरीक्षण भवन घिरोर कैम्पस के बाहर नहरी भूमि पर दिनांक–22.06.2018 को लगने वाला एक दिवसीय दशहरा मेला की नीलामी का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। नीलामी की शर्तें नीलामी के समय सुनाई जायेंगी। मेला दशहरा की नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें idup.gov.in/hi/auction विभागीय वेवसाईट पर जाकर देख सकते हैं।

क्र0 सं0	नीलाम करने का स्थान	नीलाम की तिथि	समय	धरोहर धनराशि	मौका
1	2	3	4	5	6
1	नहर निरीक्षण भवन घिरोर (मैनपुरी)	30.05.2018	11:00 बजे प्रातः	15,000.00	निरीक्षण भवन घिरोर कैम्पस के बाहर की नहरी भूमि पर

अधिशासी अभियन्ता
मैनपुरी प्रखण्ड नि0गं0न0 मैनपुरी